उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक-58875/ आई0टी0सेल/2016-17 दिनांक 4-3-17

समस्त जिलास्तरीय
शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि जिलास्तरीय शाखाओं पर इन्टरनेटयुक्त कम्प्यूटर स्थापित है। उक्त कम्प्यूटरों के अनुरक्षण अनुबन्ध के संबंध में यह निर्णय लिया है कि यदि जिलास्तरीय शाखा पर कम्प्यूटर खराब होता है तो उसको स्थानीय स्तर पर ठीक करा लिया जाये। इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर स्पष्ट करना है कि यदि अनुरक्षण व्यय रू0 3,000/- से कम है तो उसे बजट की सीमा के अन्तर्गत शाखा प्रबन्धक स्थानीय स्तर पर तीन कोटेशन के आधार पर अनुरक्षित करायेगे और यदि अनुरक्षण धनराशि रू0 3,000/- या उससे अधिक है तो उस स्थिति में स्थानीय स्तर से तीन कोटेशन प्राप्त कर प्रकरण अग्रालेख के साथ उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर) प्रधान कार्यालय संदर्भित करेगे एवम् लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही अनुरक्षण की कार्यवाही करायेगे।

02.03.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय,लखनऊ।
2- प्राचार्य(प्रशिक्षण केन्द्र) ,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,को जिलास्तरीय शाखाओं पर कम्प्यूटर अनुरक्षण हेतु बजट निर्धारण हेतु।

04.03.17

(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)